By-E mail

पत्रांक– म०भो० / को०–104 / 2013..... /

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य खाद्य निगम,
बिहार पटना।

पटना, दिनांक .....

विषयः मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कैलेन्डर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 13.03.2013 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अध्यक्षता में संचालन सह अनुश्रवण समिति की आहूत बैठक एवं दिनांक 09.07.2013 को माननीय शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में आहूत आम सभा की बैठक में मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न ससमय एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य खाद्य निगम को मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कैलेन्डर उपलब्ध कराया जाए। कैलेन्डर के अनुसार हीं राज्य खाद्य निगम प्रत्येक जिले में प्रति माह मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें, ताकि यह महत्वपूर्ण योजना खाद्यान्न के अभाव में बाधित न हो। कैलेन्डर निम्न प्रकार से है :–

1. प्रति माह 18वीं तारीख तक मध्याह्न भोजन योजना द्वारा प्रखण्डवार उपावंटन जारी करना।
2. प्रति माह राज्य खाद्य निगम द्वारा 22वीं तारीख तक (चार दिनों के अन्दर) S.I.O.निर्गत करना।
3. प्रति माह 22वीं से 30वीं तारीख तक द्वारा खाद्यान्न उठाव हेतु खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

अपने अधीनस्थ जिला प्रबंधकों एवं प्रखंड स्तरीय सहायक गोदाम प्रबंधकों को इस आशय का आदेश देकर समय सारणी का अनुपालन करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक ..... /

प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2244 / पटना, दिनांक 11/09/13 /

प्रतिलिपि :– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

खाद्यान्न का प्रवाह

1 जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। (उदाहरणार्थ, अप्रैल–जून, 2017 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2017 से 25 जून, 2017 तक होगी) खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्त्तन नहीं करेगा।

भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार आवंटित खाद्यान्न का उठाव आवंटन अवधि से एक माह पूर्व में भी किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के स्तर पर आवश्यकतानुसार इस निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

2. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल, निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त अभिमत की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी (राज्य खाद्य निगम) के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी जिला (मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी) के पास रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा।

3. (i) जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न के तीन नमूने लेंगे और इन्हें सील कर पहला नमूना जिला प्रशासन के पास, दूसरा नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और तीसरा नमूना राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यलय के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) इन नमूनों को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमूने से उसका मिलान कर संभावित विचलन की जिम्मेवारी निर्धारित किया जा सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।

4. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु Schedule स्थानीय भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। राज्य खाद्य निगम तदनुसार भारतीय खाद्य निगम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करेगा

और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा निर्देशित प्रकार से विद्यालयों को आवश्यकतानुरूप खाद्यान्न निर्गत करेगा।

5. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थति में Fair Average Quality (FAQ) से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।

6. जिला प्रसाशन एवं भारतीय खाद्य निगम का डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।

7. इसी माह में आपूर्त्ति किये गये खाद्यान्न के बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 वीं तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेगा तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्राप्त विपत्र का भुगतान जाँचोपरान्त 20 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करेगा।

8. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी को देंगे। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का भुगतान R.T.G.S./चेक से उस खाते में करेंगे।

9. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रत्येक अगले माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

10. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन (खाद्यान्न का Monthly Progress Report) प्रत्येक माह की अगली 10 वीं तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 वीं तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।

11. राज्य खाद्य निगम से योजना का खाद्यान्न निर्गत के समय प्रखण्ड साधन सेवी का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है साथ ही खाद्यान्न का एक नमूना प्रखण्ड साधन सेवी के पास आगामी तीन माह के लिए सील कर रहेगा।

12. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निदेश दिया जाता है कि वे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से सम्पर्क कर मासिक उठाव का रोस्टर तैयार करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें की प्रति माह 15वीं तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण हो जाए एवं MIS में प्राप्ति की मात्रा प्रदर्शित हो जाये।

13. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करेंगे कि MIS Generated Advice के अनुसार प्रति माह की 18वीं तारीख तक खाद्यान्न का उपावंटन जारी कर देंगे। राज्य खाद्य

निगम का यह दायित्व होगा कि जिलों में निर्धारित पूर्व प्रक्रिया के अनुसार त्रैमासिक अथवा मासिक S.I.O. निर्गत करेंगे जो माह की 23वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्गत होगा।

14. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रति माह की 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, संवेदक/प्रखण्ड साधनसेवी के माध्यम से खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराकर सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न वितरण के समय विद्यालय में पूर्व से भण्डारित खाद्यान्न का उपयोग किया जा रहा है।

16. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करेगे की प्रत्येक विद्यालय के पास हर हालत में अगले एक माह तक उपभोग किये जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक रखना अनिवार्य है, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।

17. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशें का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।